संख्या-21/2025/आई/1063191/2025-10-22099/1392/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषयः उत्तर प्रदेश सचिवालय में आनलाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 9-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013 दिनांक 18 सितम्बर, 2014, शासनादेश संख्याः 23/2021-सा-700/दस-2021-301(18)/2013 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्याः 08/2022/आई/157217/2022/फा0नं0-10-19099/22/2022-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 (प्रति संलग्न) में ऑनलाईन पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही का प्राविधान किया गया है।

2- सम्प्रति उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी विशेष सचिव, पेंशन अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति संबंधी आदेश आनलाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" के माध्यम से निर्गत किये जाय।

3- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 9-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013 दिनांक 18 सितम्बर, 2014, शासनादेश संख्याः 23/2021-सा-700/दस-2021-301(18)/2013 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्याः 08/2022/आई/157217/2022/फा0नं0-10-19099/22/2022-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 में की गयी व्यवस्थानुसार "ई-पेंशन सिस्टम" के माध्यम से निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों पर अनिवार्यत: लागू होगी।

4- सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, एन०आई०सी० से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों 18 सितम्बर, 2014, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 एवं दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के प्रावधानों के आलोक में उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण "ई-पेंशन सिस्टम" के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सचिवालय सेवा के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति के संबंध में वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी यथावत बने रहेंगे।

5- उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले ऐसे कार्मिक, जिनके पेंशन प्रपत्र, पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी को उक्त तिथि तक प्रेषित नहीं किए जाते हैं तो, उनके प्रकरण भी "ई-पेंशन सिस्टम" के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, आडिट, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- विशेष सचिव, पेंशन अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, एन०आई०सी० से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, आई.एफ.एम.आर.टी. कैम्पस, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in